तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अमरसिह बनाम नेनूराम वगेरा धारा 88,92क,188,53 प्रकरण सख्या 16 / 2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/6/2022	वादी की ओर से उपरोक्त दावा बाबत धोषणा बटवाडा एव स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया। जो दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता अनोपसिह ने वकालतनामा पेश किया । पक्षकारान् की ओर से उक्त प्रकरण मे राजीनामा हो जाने का कथन करते हुए राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता हनुमान प्रजापति ने एव प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता अनोपसिह द्वारा की गई। पक्षकारान् की ओर से राजीनामा मे विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा सख्या 479 / 2 एव 985 ग्राम बडलानगर मे से 60 फीटX 80 फीट भू भाग वादी क हक हिस्से का माना तथा मौके पर वादी का कब्जा होना एव मकान बने होने का कथन किया एव उक्त खसरान् मे शेष भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी मे होने बाबत सहमती एव राजीनामा का कथन किया तथा शेष हद तक दावा विड्रो का कथन किया। चूकि पक्षकारान् के मध्य लोक् अदालत की भावना से राजीनामा होने का कथन किया एव राजीनामा भी पेश किया लेकिन राजीनामा अनुसार वादग्रस्त खसरान की कृषि भूमियां नहीं होकर भूखण्डों के रूप में हैं ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं । अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार किया जाता हैं । पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लणी	—